समाचार.प्रकाषनार्थरू.

ष्वान बधियाकरण हेतु निगरानी समिति का गठित

रतलाम 14 दिसम्बर । शहर में आवारा ष्वानों के बधियाकरण कार्य को सुचारू रूप से करने व कार्य में पषु क्रूरता नियम 1960 की पालना को सुनिष्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा आदेषानुसार एनिमल बर्थ कन्ट्रोल ;डॉग्सद्ध रूल 2001 सब सेक्ष ;1द्ध सेक्षन 38 पीण्सीण्एण 1960 ;59 ऑफ 1960द्ध डॉग्स रूल के अन्तर्गत निगरानी समिति का गठन किया गया।

गठित निगरानी समिति में आयुक्त नगर पालिक निगमए रतलाम अध्यक्षए उप संचालक पषु पालन विभाग सदस्यए श्री जीण्केण जायसवालए स्वास्थ्य अधिकारीए नगर पालिक निगम रतलाम सदस्यए पद्मश्री डॉ0 लीला जोषी ;चिकित्सक एवं समाजसेविकाद्धए श्रीमती आषा पति ईष्वरलाल गुप्ता ;एनिमल एक्टिविस्टद्धए श्री वेदप्रकाष पिता रणवीर सिंह ;एनिमल एक्टिविस्टद्धए सुश्री पल्लवी.लक्ष्मीनारायण टांक सोष्यल वर्करए श्री प्रकाष.राजमल लोढ़ा सोष्यल वर्करए श्री अमृत.सागरमल मूणत सोष्यल वर्करए श्रीमती आपरा पति पुश्पेन्द्र खण्डेलवाल सोष्यल वर्करए सुश्री षिल्पा पिता विजय कुमार जोषी सोष्यल वर्कर को नियुक्त किया गया है।

गठित समिति द्वारा नोटिफिकेषन न्यु दिल्ली दिनांक 24ण12ण2001 से जारी सर्क्युलय में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 05 में उल्लेखित कार्य करेगी तथा किये गये कार्य से समय.समय पर आयुक्त नगर पालिक निगमए रतलाम को अवगत करायेगी।

महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए षहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ बनेगा रोड डिवाईडर
हजीरा पुलिया से ऑफिसर कॉलोनी मोड़ तक बनेगी सड़क
निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा स्थलों का निरीक्षण

रतलाम 14 दिसम्बर । विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए षहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ रोड डिवाईडर व हजीरा पुलिया से

ऑफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क निर्माण हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम इंजीनियरों के साथ स्थलों का निरीक्षण किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए षहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ रोड डिवाईडर निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण कर सड़क के सेन्टर हेतु नपती करवाई। इसी तरह नगर निगम स्वामित्व की हजीरा पुलिया से ऑफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क के निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने उक्त कार्यो को करवाये जाने हेतु निगम इंजीनियरों को एस्टीमेंट षीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देष दिये।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेषीए उपयंत्री श्री मनीश तिवारी आदि उपस्थित थे।

नगर निगम रतलाम हुआ हाई टेक

80 अधिकारीध्कर्मचारी होंगे वायरलैस वॉकी.टॉकी से लैस

रतलाम 14 दिसम्बर । नगर निगम के कार्यो को ओर अधिक गति दिये जाने के उद्देष्य से नगर निगम द्वारा एस टेली कम्पनी के क्रय किये गये 80 वॉयर लैस वॉकी.टॉकी को चलाने का प्रषिक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में निगम के अधिकारीध्कर्मचारियों को दिया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा 80 वॉयरलैस वॉकी. टॉकी क्रय किये गये जिससे अधिकारीध्कर्मचारियों से एक ही समय में बात की जा सकती है। क्रय किये गये वॉयरलैस वॉकी.टॉकी पुरे भारत में संचालित हो सकेगा व कहीं से भी बात कर सकेगा जिससे निगम के कार्यो को ओर अधिक गति मिलेगी।

14 दिसम्बर को 77 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 14 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान

निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 14 दिसम्बर मंगलवार को 77 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
14 दिसम्बर मंगलवार को डम्पर से 31065ए टेªक्टर से 10665ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15755 व काम्पेक्टर गीला कचरा 19930 किलो इस तरह कुल 77415 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

खुले में गंदगी करने पर 20 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 37 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें
रतलाम 14 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 14 दिसम्बर को 20 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर प्रकाषए नियाज खानए पंकज मीणाए अर्जून यादव घांस बाजारए मंगलेषए कालू सिंह बाजना बस स्टैण्डए गोर्वधनए षांतिलालए सोहनलाल पर 100.100ए मुकेषए छेदीसिंहए अरूणए धन्नालालए अनिल राठौड़ए रमेष गौषाला रोडए राजूए रामलालए प्रदीपए संतोश बाजना बस स्टैण्डए संदीप सागोद रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।
इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 37 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह मो० नं० 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो० नं० 7471144931ए श्री किरण चौहान मो०नं० 7471144932ए श्री विनय चौहान मो०नं० 8770535145ए श्री

विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो०नं० 7000128812ए आकाष षिन्दे मो०नं० 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो०नं० 6268449110ए राकेष ललावत मो०नं० 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

6220 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन
पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें
रतलाम 14 दिसम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 14 दिसम्बर मंगलवार तक 6220 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 61०95 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 14 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 130 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 14 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 14 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6

नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की

सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्14ण्12ण्2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्